

25.09.2011 पत्रावली पेश / वकील वारी उपस्थित /

पत्रावली का अपलोडन किया गया /
पत्रावली 20/3 से तलबी में लम्बित
है। बार-बार अवकाश दिये जाने
के बावजूद वारी पक्षकार द्वारा सम्मान
तलबना पेश नहीं किये जाते हैं।
इससे स्पष्ट है कि वारी पक्षकार
अपने दावे को लेकर गम्भीर नहीं
हैं। अतः दावा न्यायालय आदेश की
अपालना में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैंसल नुमांर होकर अपालना
में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैंसल नुमांर होकर नम्बर से कम
की जाकर दाखिल पत्र है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) सांचौर (जालौर)

